

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 76/2022 दिनांक – 8/3/2022

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम-2018 धारा – 7, 7A

(ब) अधिनियम – धाराये –

(स) अधिनियम – धाराये –

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120B IPC

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 164 समय – 5:15 PM

व. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 30.01.2022 समय – करीब दोपहर पूर्व

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 29.01.2022 समय – 03.15 PM.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरुख पश्चिम 90 किलो मीटर लगभग

(ब) पता :– जीएसएस (बिजलीघर) सोमेसर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. शेरगढ
बीट संख्या जारायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना जिला

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – हुकमाराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री मंगलाराम जाट

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 26 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – निजी वैल्डर (र) पता – किशोर नगर सोमेसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित-

1. श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रसारीलाल मीणा निवासी फतेहपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सोलंकीयातल्ला अधिनरथ सहायक अभियन्ता डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर।

2. श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पावूरार सोमेसर हाल ठेकाकर्मी विद्युत विभाग रोगेरार डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर।

9. रिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कुछ नहीं

10. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

11. चुराई हुई लिप्त सम्पत्तियां का कुल मुल्य :- आरोपी श्री स्वरूपाराम ने परिवादी से जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा देने के लिये कुल 20000/-रुपये की मांग की जिसमें से 13500/-रुपये बिजली विभाग की राशि व 6500/-रुपये जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा को रिश्वत राशि देने के लिये मांग की।

12. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

13. विषय वरतु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

जोधपुर।

विषय :- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,

सादर निवेदन है कि मैं हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का निवासी हुं। मेरे बड़े पिताजी श्री निम्बाराम पुत्र श्री नैनाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने सोमेसर गांव मे अपने प्लाट में दुकाने बना रखी है, जिसमे मैं पिछले चार-पांच वर्ष से वैलिंग का काम करता हूं, तथा मेरे बड़े पिता श्री निम्बाराम को प्रतिमाह 1500 रुपये किराया देता हूं। इस दुकान मे बिजली कनैक्शन श्री निम्बाराम के नाम है। मेरी किराये की दुकान का बिजली बिल प्रति माह मैं स्वयं जमा करवाता हूं। दिनांक 27.01.2022 को मैं दुकान पर वैलिंग कर रहा था उस समय दिन मे करीब 3 बजे बिजली विभाग से जईएन श्री राजेश मीणा एव सोमेसर बिजली घर मे ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूसर (सोमेसर) मेरी दुकान पर आये तथा जईएन श्री राजेश मीणा ने कहा कि तुम कम लोड (केवी) मे वैलिंग का काम कर रहे हो, तुम्हारे यहां बड़ी मशीने पड़ी है। तो मैंने कहा मैं यहां कम लोड (केवी) की वैलिंग मशीन से छोटा-मोटा काम करता हूं। अधिक लोड (केवी) का वैलिंग का काम सामने की दुसरी दुकान पर करता वंही पर लोहे का कच्चा सामान पड़ा है आप देखलो। उन्होने उस समय तो कुछ नहीं कहां और वंहा मेरी किराये की दुकान मे रखी वैलिंग मशीन के नम्बर लिख कर चले गये, मुझे और कुछ नहीं कहा और ना ही मेरी दुकान पर अन्य कोई लिखा-पड़ी की एव ना ही मेरे साईन किसी कागज पर करवाये थे। बाद मे मैं एव मेरा रिस्तेदार श्री हनुमानराम पुत्र श्री निम्बाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर दोनो सोमेसर बिजलीघर गये जहां ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम मिला और मेरे पुछने पर मुझे बताया कि आपकी दुकान पर 05 केवी के लोड के हिसाब से 90 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हु मेरी मदद करो, जिस पर ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम ने कहा मैं जईएन साहब से बात करके बताऊगा। दिनांक 28.01.2022 को मैंने मेरे मोबाईल न0 93515-38525 से श्री ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के मोबाईल न0 63776-73883 पर बात की तो श्री स्वरूपाराम ने कहा कि जईएन साहब ने 20 हजार रुपये का कहा है इसमे 13 हजार रुपये की रशिद देंगे उसने पैसे फोन-पे के द्वारा खाते मे जमा करवाने का कहा। मैं बिजली विभाग के ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के कहने पर जईएन श्री राजेश मीणा को किसी भी माध्यम से रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा इन दोनो को रिश्वत लेते या किसी के खाते मे जमा करवाते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। श्री स्वरूपाराम मुझसे या मेरे रिस्तेदार श्री हनुमानराम पिता श्री निम्बाराम से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैं स्वरूपाराम से रिश्वत राशि के बारे मे बात करने के लिए श्री हनुमानराम को सोमेसर गांव से साथ लेकर जाऊगा।

इन दोनों से मेरी निजी कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही इनसे हमारा कोई पूर्व का लेन-देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

प्रार्थी

—सही—

हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाट
निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़
जिला जोधपुर मोबाईल न0 93515-38525

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 03.15 पी.एम. पर श्री हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाट, उम्र 26 वर्ष, पेशा वैलिंग करना, निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर, मोबाईल न0 93515-38525 ने कार्यालय में उपरिष्ठ होकर उक्त टाईप सुदा रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को पेश की। मर्जीद दरियाफ्त पर श्री हुकमाराम ने बताया कि मेरे बड़े पिताजी श्री निम्बाराम पुत्र श्री नैनाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने सोमेसर गांव मे अपने प्लाट में दुकाने बना रखी है, जिसमे मैं पिछले चार-पांच वर्ष से वैलिंग का काम करता हूं, तथा मेरे बड़े पिता श्री निम्बाराम को प्रतिमाह 1500 रुपये किराया देता हूं। इस दुकान मे बिजली कनैक्शन श्री निम्बाराम के नाम है। मेरी किराये की दुकान का बिजली बिल प्रति माह मैं स्वयं जमा करवाता हूं। बिजली बिल मेरे द्वारा जमा कराने के कारण ही बिजली बिल में उपभोक्ता के मोबाईल नम्बर 9983290271 अंकित है। जो मेरे ही है। दिनांक 27.01.2022 को मैं दुकान पर वैलिंग कर रहा था उस समय दिन मे करीब 3 बजे बिजली विभाग से जईएन श्री राजेश मीणा एव सोमेसर बिजली घर मे ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूसर (सोमेसर) मेरी दुकान पर आये तथा जईएन श्री राजेश मीणा ने कहा कि तुम कम लोड (केवी) मे वैलिंग का काम कर रहे हो, तुम्हारे यहां बड़ी मशीने पड़ी है। तो मैंने कहा मैं यहां कम लेड (केवी) की वैलिंग मशीन से छोटा-मोटा काम करता हूं। अधिक लोड (केवी) का वैलिंग का काम सामने की दुसरी दुकान पर करता हूं। वंही पर लोहे का कच्चा सामान पड़ा है आप देखलो। उन्होने उस समय तो कुछ नहीं कहां और वंहा मेरी किराये की दुकान मे रखी वैलिंग मशीन के नम्बर लिख कर चले गये, मुझे और कुछ नहीं कहा और ना ही

मेरी दुकान पर अन्य कोई लिखा-पढ़ी की एवं ना ही मेरे साईन किरी कागज पर करवाये थे। बाद में मैं एवं मेरा रिस्तेदार श्री हनुमानराम पुत्र श्री निम्बाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर दोनों सोमेसर बिजलीघर गये जहां ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम मिला और मेरे पूछने पर मुझे बताया कि आपकी दुकान पर 05 केवी के लोड के हिसाब से 90 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं मेरी मदद करो, जिस पर ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम ने कहा मैं जेर्इएन साहब से बात करके बताऊगा। दिनांक 28.01.2022 को मैंने मेरे मोबाईल नं 93515-38525 से श्री ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के मोबाईल नं 63776-73883 पर बात की तो श्री स्वरूपाराम ने कहा कि जेर्इएन साहब ने 20 हजार रुपये का कहा है इसमें 13 हजार रुपये की रसीद देंगे उसने पैसे फोन-पे के द्वारा खाते में जमा करवाने का कहा। मैं बिजली विभाग के ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के कहने पर जेर्इएन श्री राजेश मीणा को किसी भी माध्यम से रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा इन दोनों को रिश्वत लेते या किसी के खाते में जमा करवाते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। श्री स्वरूपाराम मुझसे या मेरे रिस्तेदार श्री हनुमानराम पिता श्री निम्बाराम से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैं स्वरूपाराम से रिश्वत राशि के बारे में बात करने के लिए श्री हनुमानराम को सोमेसर गांव से साथ लेकर जाऊंगा। इन दोनों से मेरी निजी कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही इनसे हमारा कोई पूर्व का लेन-देन बकाया है। मुझे बिजली विभाग के उक्त कार्मिकों द्वारा किसी भी तरह का कोई दस्तावेज़ मौके पर नहीं दिया गया। परिवादी ने अपनी किराये की दुकान का बमाह नवम्बर 2021 की बिजली बिल ली हरताक्षरशुदा फोटो स्टेट व पहचान हेतु आधार कार्ड की फोटो स्टेट प्रति पेश की।

परिवादी द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट में अंकित तथ्य व मजीद दरियापत्ती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी का होने से अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु मन् रूपसिंह पुलिस निरीक्षक को श्रीमान के कक्ष में बुलाकर परिवादी का परिचय कराया व उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट लेकर मय परिवादी के अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी से मजिद दरियाफत् की तो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताई गई बात ही दोहराई। परिवादी की उक्त रिपोर्ट व मजिद दरियाफत् से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की हद का पाया जाने पर विभागीय नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु कार्यालय के कानि. श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कक्ष में उपरिथित परिवादी श्री हुकमाराम से परिचय कराया। दोनों के मोबाईल नं. की जानकारी एक दुसरे को दी गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसके संचालन की विधि परिवादी श्री हुकमाराम व कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को समझाई गई। तत्पश्चात् कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द अवरथा में सुपुर्द कर परिवादी श्री हुकमाराम के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने सोमेसर हिदायत देकर रवाना किया।

दिनांक 30.01.2022 को दोपहर करीब 01.55 पी.एम. पर कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 ने अपने मोबाईल नं. 7073391492 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9571272412 पर फोन कर बताया कि मैं व परिवादी श्री हुकमाराम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से हुई वार्ता के बाद मैं प्राईवेट बस से सोमेसर पहुंचा व परिवादी श्री हुकमाराम अपनी प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना होकर दिनांक 29.01.2022 की शाम को सोमेसर पहुंचे उस समय अन्धेरा हो जाने से रात्रि में मैं अपनी उपरिथित छिपाने हेतु सोमेसर के आस-पास मुकिम रहा। आज दिनांक 30.01.2022 को सोमेसर बिजलीघर के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री हुकमाराम व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को मोटर साईकिल से हाजिर आये। श्री हुकमाराम ने अपने साथ आये व्यक्ति का नाम श्री हनुमानराम पुत्र श्री निम्बाराम बताया। परिवादी श्री हुकमाराम ने मुझे एकान्त में बताया कि मैं व हनुमानराम दोनों सोमेसर बिजलीघर में ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम के पास रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने जायेंगे। अभी मुझे विश्वास है कि श्री स्वरूपाराम मेरे से ही रिश्वत राशि की मांग कर लेगा। इसलिये हनुमानराम को बताना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो बाद में हनुमानराम को बता देंगे। इस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर श्री हुकमाराम को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने सुपुर्द किया गया। श्री हुकमाराम व श्री हनुमानराम दोनों अपनी मोटर साईकिल से सोमेसर बिजलीघर जाने रवाना हुए। मन् कानि. आस-पास ही उपरिथित छिपाते हुए मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् श्री हुकमाराम पुनः अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया। श्री हुकमाराम ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जो मैंने रवीच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री हुकमाराम ने बताया कि हनुमानराम को मैंने बिजलीघर ही छोड़ दिया तथा फिर बताया मैं व हनुमानराम दोनों सोमेसर बिजलीघर में गये। मैंने श्री हनुमानराम को श्री स्वरूपाराम व श्री राजेश मीणा जे.इ.एन को रिश्वत राशि मांगे जाने पर पकड़ाने के बारे में कुछ नहीं बताया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर के बारे में भी नहीं बताया। सोमेसर बिजलीघर में हमें श्री स्वरूपाराम ठेका कर्मी मिला उसने बातचीत के दौरान कहा कि तुम्हारे दुकान की शीट जे.इ.एन साहब ने भरी है। परन्तु उसमें किलोवाट व जुर्माना राशि भरना शेष रखा है। जे.इ.एन साहब को देने के लिये

स्वरूपाराम ने कुल 20000/-रुपये की मांग की। इसमें 13500/-रुपये एक KV का जुर्माना व 6500/-रुपये रिश्वत राशि के होना बताया। मेरे व हनुमानाराम द्वारा कम कराने का निवेदन करने पर स्वरूपाराम ने कहा कि मैं जे.ई.एन साहब को 2000/-रुपये कम कराने के लिये निवेदन करूँगा। हमारे द्वारा रिश्वत राशि कुछ कम करने हेतु स्वरूपाराम को जे.ई.एन साहब से मोबाईल फोन से बात करने हेतु कहा तो उसने जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को अपने फोन से कई बार फोन लगाया परन्तु जे.ई.एन साहब ने फोन नहीं उठाया। स्वरूपाराम ने कहा कल तुम 20000/-रुपये लेकर आ जाओ। उस समय मैं जे.ई.एन साहब से प्रयास कर 2000/-रुपये कम करा दूँगा। स्वरूपाराम ने अपने मोबाईल फोन में सेव मेरे दुकान की भरी गई शीट को पढ़कर सुनाया। उसमें भी उसने KV व जुर्माना की जगह खाली होना बताया। कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को हिदायत दी की परिवादी श्री हुकमाराम की रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से भी बातचीत कराने हेतु प्रयास करें। समस्त हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किये।

कुछ समय पश्चात कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 ने अपने मोबाईल नं. 7073391492 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9571272412 पर फोन कर बताया की जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर बिजलीघर में आया था। परन्तु मात्र कुछ समय रुककर रवाना हो गया। इसलिये परिवादी श्री हुकमाराम की जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से बातचीत सम्भव नहीं हुई। कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को हिदायत दी की परिवादी श्री हुकमाराम को कल दिनांक 31.01.2022 वो रिश्वत राशि 20000/-रुपये लेकर कार्यालय में आने हेतु पाबन्द करें। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज किय। श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय पहुँचने हेतु निर्देश दिये। अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु दिनांक 31.01.2022 को स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु एक पत्र मुर्तिब कर सचिव जोधपुर विकारा प्राधिकरण जोधपुर को जरिये ई-मेल प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2022 को कानि. भूरसिंह नं. 23 कार्यालय में हाजिर आया तथा कार्यालय वा डिजीटल वॉयस बन्द अवस्था में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री हुकमाराम कार्यालय से रवाना होकर दिनांक 29.01.2022 की शाम को सोमेसर पहुँचे उस समय अन्धेरा हो जाने से रात्रि में मैं अपनी उपस्थिति छिपाने हेतु सोमेसर के आस-पास मुकिम रहा। दिनांक 30.01.2022 को सोमेसर बिजलीघर के पास पहुँचा जहां परिवादी श्री हुकमाराम व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति मोटर साईकिल से हाजिर आये। श्री हुकमाराम ने अपने साथ आये व्यक्ति का नाम श्री हनुमानराम पुत्र श्री निम्बाराम बताया। परिवादी श्री हुकमाराम ने मुझे एकान्त में बताया कि मैं व हनुमानराम दोनों सोमेसर बिजलीघर में ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम के पास रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने जायेंगे। अभी मुझे विश्वास है कि श्री स्वरूपाराम मेरे से ही रिश्वत राशि की मांग कर लेगा। इसलिये हनुमानाराम को बताना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो बाद मैं हनुमानराम को बता देंगे। इस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर श्री हुकमाराम को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने सुपुर्द किया गया। श्री हुकमाराम व श्री हनुमानराम दोनों अपनी मोटर साईकिल से सोमेसर बिजलीघर जाने रवाना हुए। मन् कानि. आस-पास ही उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात् श्री हुकमाराम पुनः अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया। श्री हुकमाराम ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जो मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री हुकमाराम ने बताया कि हनुमानराम को मैंने बिजलीघर ही छोड़ दिया तथा फिर बताया मैं व हनुमानराम दोनों सोमेसर बिजलीघर में गये। मैंने श्री हनुमानराम को श्री स्वरूपाराम व श्री राजेश मीणा जे.ई.एन को रिश्वत राशि मांगे जाने पर पकड़ाने के बारे में कुछ नहीं बताया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर के बारे में भी नहीं बताया। सोमेसर बिजलीघर में हमें श्री स्वरूपाराम ठेका कर्मी मिला उसने बातचीत के दौरान कहा कि तुम्हारे दुकान की शीट जे.ई.एन साहब ने भरी है। परन्तु उसमें किलोवट व जुर्माना राशि भरना शेष रखा है। जे.ई.एन साहब को देने के लिये स्वरूपाराम ने कुल 20000/-रुपये की मांग की। इसमें 13500/-रुपये एक KV का जुर्माना व 6500/-रुपये रिश्वत राशि के होना बताया। मेरे व हनुमानराम द्वारा कम कराने का निवेदन करने पर स्वरूपाराम ने कहा कि मैं जे.ई.एन साहब को 2000/-रुपये कम कराने के लिये निवेदन करूँगा। हमारे द्वारा रिश्वत राशि कुछ कम करने हेतु स्वरूपाराम को जे.ई.एन साहब से मोबाईल फोन से बत करने हेतु कहा तो उसने जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को अपने फोन से कई बार फोन लगाया परन्तु जे.ई.एन साहब ने फोन नहीं उठाया। स्वरूपाराम ने कहा कल तुम 20000/-रुपये लेकर आ जाओ। उस समय मैं जे.ई.एन साहब से प्रयास कर 2000/-रुपये कम करा दूँगा। स्वरूपाराम ने अपने मोबाईल फोन में सेव मेरे दुकान की भरी गई शीट को पढ़कर सुनाया। उसमें भी उसने KV व जुर्माना की जगह खाली होना बताया। श्री स्वरूपाराम ने जे.ई.एन साहब का कल सोमेसर बिजलीघर में आना बताया। शाम के समय जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर बिजलीघर में आया था परन्तु कुछ समय रुककर रवाना हो गया इसलिये परिवादी की उससे वार्ता सम्भव नहीं हुई। मैं प्राईवेट बस से रवाना होकर कार्यालय हाजिर आया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुना तो पाया कि श्री स्वरूपाराम द्वारा जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को देने हेतु जुर्माना सहित 20000/-रुपये की मांग की गई। जिसमें से 13500/-रुपये एक

KV का लोड बढ़ाने पर सरकारी राशि व शेष 6500/- रुपये जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को दी जाने वाली रिश्वत राशि के होना बताया। परिवादी श्री हुकमाराम के द्वारा कम करने का कहने पर उसने कहा मैं रिश्वत राशि लेकर जे.ई.एन साहब को दुंगा तब 2000/- रुपये कम कराने का प्रयास करूंगा। इस तरह स्वरूपाराम द्वारा रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। बातचीत को सुनने से पाया कि परिवादी के दुकान की भरी गई शीट में KV लोड व जुर्माना राशि भरना खाली रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम कार्यालय में हाजिर आया तथा पुछताछ करने पर कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 द्वारा बताई गई बातों को दौराया। परिवादी श्री हुकमाराम ने बताया कि मुझे उम्मीद है कि आज जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर बिजलीघर आयेंगे। उस समय मैं स्वरूपाराम को साथ लेकर उनसे मिलूंगा तो वे रिश्वत राशि की मांग कर लेंगे। मन् पुलिस निरीक्षक भी जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से सीधे तौर पर रिश्वत राशि की मांग का प्रयास करना उचित समझता हूँ। इससे श्री राजेश मीणा के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य प्राप्त होगी अतः राजेश मीणा जे.ई.एन से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने का प्रयास करना उचित रहेगा।

इसी दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से खतन्त्र गवाहान के रूप में श्री सुनिल डागा पुत्र श्री वालकिशन डागा, जाति माहेश्वरी, उम्र 37 साल, निवासी बड़ाबास मथानिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मगरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 57, साल निवासी मकान नम्बर-80 राजेन्द्र नगर खसरा नम्बर 163 मारवाड़ रकूल के पास डिगाड़ी जोधपुर हाल कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हाजिर आये। उक्त दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री हुकमाराम से कराया गया। हुकमाराम द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराया गया तथा प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये गये। कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर कर हर दोनों ने बतौर खतन्त्र गवाहान अपनी मौखिक सहमति दी। तत्पश्चात खतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री भंवरसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर जाय तैनाती जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर रवाना किया गया।

इसके तत्पश्चात कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द अवस्था में सुपुर्द कर परिवादी श्री हुकमाराम के साथ जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने सोमेसर हिदायत देकर रवाना किया।

उसी रोज शाम के करीब कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 ने अपने मोबाइल फोन नम्बर 7073391492 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 9571272412 पर फोन कर बताया कि मैं व श्री हुकमाराम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी द्वारा लाई गई उसकी बोलेरो गाड़ी से सोमेसर पहुंचे। जहां जानकारी मिली कि जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर बिजलीघर में आया है। इस पर सोमेसर बिजलीघर के पास मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर श्री हुकमाराम को उससे बातचीत करने रवाना किया। करीबन एक घण्टा बाद परिवादी श्री हुकमाराम पुनः मेरे पास आय। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जो मैंने रिच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री हुकमाराम ने बताया कि मैं जे.ई.एन श्री राजेश मीणा के पास सोमेसर बिजलीघर में गया तो उनके पास कई गांव वाले बातचीत कर रहे थे। बाद मैं जे.ई.एन साहब रवाना होकर अपनी गाड़ी की तरफ गये तो मैं भी उनके पास गया। मैंने उन्हे मेरा काम करने के लिये निवेदन किया तो उन्होंने ऑफिस में आने के लिये कहा। मैंने कहा खरूपाराम ने बात बताई है तो उन्होंने कहा खरूपाराम से बात कर लेना। मैंने उन्हे एक KV का बनाने के लिये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। जे.ई.एन ने मुझे कोई दस्तावेज मुझे नहीं दिये। परिवादी ने कहा कि रिश्वत राशि खरूपाराम लेगा तथा जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को देगा। कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को हिदायत दी कि परिवादी श्री हुकमाराम को कल दिनांक 01.02.2022 जे.ई.एन रिश्वत राशि 20000/- रुपये लेकर कार्यालय में आने हेतु पाबन्द करें। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज किया। श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देश दिये।

दिनांक 01.02.2022 को कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर रिच ऑफ अवस्था में मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया तथा बताया कि मन् कानि. सोमेसर से मैं बस से रवाना होकर कार्यालय हाजिर आया। रवाना होकर दिनांक 31.01.2022 को रात्रि 11.00 पी.एम. पर जोधपुर पहुंचा। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुना तो पाया कि परिवादी श्री हुकमाराम ने मौका मिलने पर जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से गाड़ी में बैठते समय बात कर अपना काम करने के लिये कहा तो जे.ई.एन श्री राजेश मीणा ने कहा ऑफिस में जा जाना। इस पर परिवादी ने कहा खरूपाराम ने बात बताई है तो उन्होंने कहा खरूपाराम से बात कर लेना। उसने उन्हे एक KV का बनाने के लिये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह वार्ता से पाया कि जे.ई.एन श्री राजेश मीणा ने परिवादी श्री हुकमाराम को उसकी दुकान में विद्युत लोड के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के कोई दस्तावेज नहीं दिया तथा ऑफिस में आने व खरूपाराम से मिलने के लिये कहा। प्रथम दृष्टया विद्युत ठेका कर्मी सोमेसर श्री खरूपाराम व

जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा की मिलिभगत होना पाया जाता है। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह ने अपने मोबाईल फोन नं. 9571272412 से परिवादी श्री हुकमाराम के मोबाईल नं. 9351538525 पर सम्पर्क कर वार्ता की तो उसने कहा कि मैं रिश्वत राशि लेकर सोमेसर से आपके कार्यालय में आने के लिये अपनी मोटर साईकिल से रवाना हो गया हूँ। करीबन दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय में हाजिर हो जाऊंगा। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री भंवरसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल फोन सूचित किया गया।

कुछ समय पश्चात् पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री भंवरसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर कार्यालय में हाजिर आये। इसी दौरान परिवादी श्री हुकमाराम भी कार्यालय में हाजिर आया तथा बताया कि दिनांक 31.01.2022 ले मैं व श्री भूरसिंह कानि. सोमेसर पहुँचे। जहां जानकारी मिली कि जे.ई.एन श्री राजेश मीणा सोमेसर बिजलीघर में आया है। इस पर सोमेसर बिजलीघर के पास श्री भूरसिंह कानि. ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री राजेश मीणा जे.ई.एन से बातचीत करने रवाना किया। बातचीत के बाद मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर लाकर श्री भूरसिंह कानि. को सुपुर्द किया उन्होने उसका स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। मैंने उन्हे वहां की बातचीत के हालात बताये। श्री हुकमाराम ने बताया कि मैं जे.ई.एन श्री राजेश मीणा के पास सोमेसर बिजलीघर में गया तो उनके पास कई गांव वाले बातचीत कर रहे थे। बाद में जे.ई.एन साहब रवाना होकर अपनी गाड़ी की तरफ गये तो मैं भी उनके पास गया। मैंने उन्हे मेरा काम करने के लिये निवेदन किया तो उन्होने ऑफिस में आने के लिये कहा। मैंने कहा स्वरूपाराम ने बात बताई है तो उन्होने कहा स्वरूपाराम से बात कर लेना। मैंने उन्हे एक KV का बनाने के लिये कहा तो उन्होने कहा ठीक है। जे.ई.एन ने मुझे कोई दस्तावेज मुझे नहीं दिये। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी किराये की दुकान में दिनांक 27.01.2022 को राजेश मीणा द्वारा भरी गई वीसीआर की सीट में KV लोड व जुर्माना राशि खाली रखा गया है। मेरे द्वारा रिश्वत राशि देने पर एक KV का लोड भरकर उसकी जुर्माना राशि अंकित करेंगे। श्री स्वरूपाराम ने भी दिनांक 30.01.2022 को बातचीत के दौरान वीसीआर सीट में KV लोड व जुर्माना राशि भरना नहीं बताया तथा उसने 20000/-रुपये की मांग कर एक KV लोड भरकर 13500/-रुपये विजली विभाग में जमा करने व शेष रुपये जे.ई.एन श्री राजेश मीणा के लिये रिश्वत के रूप में देने के लिये मांग की तथा कुछ रुपये कम करने वा निवेदन करने पर कहा जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से मिलकर रिश्वत राशि देते हुए दो हजार रुपये कम करने के लिये निवेदन करेंगे। परिवादी ने कहा कि रिश्वत राशि स्वरूपाराम लेगा तथा जे.ई.एन श्री राजेश मीणा को देगा। श्री हुकमाराम ने बताया कि मैं रिश्वत राशि देने के लिये 20000/-रुपये लेकर आया हूँ। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। कार्यालय में रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकाल कर कार्यालय में उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा व श्री भंवरसिंह को दिनांक 30.01.2022 को श्री स्वरूपाराम विद्युत ठेका कर्मी सोमेसर व परिवादी के बीच हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 31.01.2022 को जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा व परिवादी के बीच हुई वार्ता के मुख्य अंश को सुनाया गया उन्होने वार्ता के मुख्य अंश को सुनकर कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा तैयार करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् उक्त दोनों गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री हुकमाराम द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री हुकमाराम ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ- पांच सौ रुपये के 36 नोट व 2000/-रुपये का एक नोट कुल 20,000 रुपये पेश किये। सभी नोटों पर गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय में रखा फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हुकमाराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुनिल डागा से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 20,000/- रुपये के नोट श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक से ही परिवादी के पहने हुए कमीज की उपर की बायी जेब में रखवाये गये। इसके पश्चात् एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चमच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की है। हाजरिन को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफथलीन पाउडर के महत्व एवं किया प्रतिक्रिया को भली भांती समझाया। इसके

पश्चात् दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाकर श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। कॉच की गिलासों, ट्रैप सामग्री किट, चम्मच, खाली पब्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रैप बाकर में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब में रखे नोटों को राते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व आरोपी से अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् कहां रखता अथवा कहाँ छुपाता है, का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह के मोबाईल नं. 9571272412 पर मिस कॉल/कॉल अथवा सिर पर हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह एवं ट्रैप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जायें। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहाँ तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रैप दल में ब्यूरो स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 4000 रु रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वरतु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी देकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी ली अलमारी में रखने की हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु में छोड़ा गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही ली पृथक से फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। अग्रिम कार्यवाही बाबत विचार विमर्श कर एक टीम ट्रैप कार्यवाही हेतु सोमेसर गांव व दुसरी टीम जे.इ.एन श्री राजेश मीणा के तैनाती स्थल बिजली विभाग शेरगढ़ जाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री हुकमाराम को हिदायत देकर सोमेसर गांव से 05-06 किलोमीटर पूर्व जैतसर गांव सीमा में मिलने की हिदायत देकर उसके प्राईवेट वाहन मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। इसके पीछे-पीछे श्री भोपालसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर मय ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन नं. आर जे 14 यूरी 4995 मय चालक के साथ ट्रैप कार्यवाही में सहयोग हेतु बिजली विभाग कार्यालय शेरगढ़ की तरफ व मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह मय जाब्ता श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 मय जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा व श्री भंवरसिंह के प्राईवेट वाहन आर जे 19 टीबी 7121 इनोवा गाड़ी से वाहन चालक सहित मय ट्रैप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली लेकर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्रनिब्यूरो जोधपुर शहर से रवाना होकर सोमेसर गांव से 05-06 किलोमीटर पूर्व जैतसर गांव की सीमा में पहुंचे जहाँ पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री हुकमाराम अपनी प्राईवेट मोटरसाईकिल से हाजिर मिला, उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री स्परूपाराम बिजली ठेकाकर्मी सोमेसर बिजलीघर में मिलेगा तथा जे.इ.एन श्री राजेश मीणा को देने के लिये रिश्वत राशि मेरे से वहीं प्राप्त कर लेगा। परिवादी ने बताया कि मेरा मोबाईल फोन नं. 9351538525 चार्ज नहीं होने से रिव्यु ऑफ हो गया है। उसने अपने दुसरे मोबाईल नं. 9783126724 दिये तथा कहा आज अब मैं इस मोबाईल फोन से वार्ता करूंगा। कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर परिवादी श्री हुकमाराम के साथ उसकी प्राईवेट मोटर साईकिल से सोमेसर गांव की तरफ रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान गोपनीयता बरतते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में खड़े रहे। तत्पश्चात् उक्त कार्यवाही के समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये फोन निवेदन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि मैं व मेरे साथ का जाब्ता जे.इ.एन. श्री राजेश मीणा की तैनाती स्थल शेरगढ़ बिजली घर के आस-पास खड़े हैं।

कुछ समय तत्पश्चात् परिवादी श्री हुकमाराम ने अपने मोबाईल फोन नं. 9783126724 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नं. 9571272412 पर बताया कि मैं सोमेसर बिजलीघर आया जहाँ श्री स्वरूपराम नहीं मिला। मैंने उससे मोबाईल पर बात की तो उसने शेरगढ़ होना बताया व मुझे मिलने के लिये शेरगढ़ बुलाया है। परिवादी ने कहा कि हम वापरा सोमेसर गांव से बाहर कही एकान्त में मिलेंगे। सोमेसर गांव में ब्यूरो का कोई कार्मिक मेरे साथ होने पर पहचान लेगा। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु रणनीति तय करने मिलने हेतु कहा तो उसने सोमेसर गांव से आगे सुवालिया राड़ पर भोमियाजी के थान के पास मिलने हेतु बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह हमरा ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा व श्री भंवरसिंह मय ट्रैप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली के प्राईवेट वाहन इनोवा के सोमेसर गांव से रवाना होकर सोमेसर गांव बिजलीघर के पास पहुंचे जहाँ गोपनीयता बरतता हुआ कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 हाजिर मिला उसने

बताया कि मैंने सोमेसर गांव में पहुंचने पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री हुकमाराम को सुपुर्द कर स्वरूपाराम से मिलने बिजलीघर की तरफ रवाना किया। श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को हमरा लेकर सुवालिया रोड पर भोमियाजी के थान से एकान्त में परिवादी श्री हुकमाराम के बताये अनुसार रथान पर पहुंचे जहां श्री हुकमार म हाजिर मिला। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर उससे प्राप्त कर, रिचर्च ऑफ कर अपने पास रखा। उसने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री स्वरूपाराम मुझे शेरगढ़ जे.ई.एन श्री राजेश मीणा के साथ में बिजलीघर के आस-पास मिलेगा वहां वह रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। इस पर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से शेरगढ़ रवाना किया तथा शेरगढ़ पहुंचने पर ब्यूरो टीम से मिलने हेतु हिदायत देकर रवाना किया गया तथा पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान के जरिये प्राईवेट वाहन आर जे 19 टीबी 7121 इनोवा के सुवालिया रोड पर भोमियाजी के थान से रवाना होकर शेरगढ़ पहुंचा। जहां मेंगा हाईवे पर शेरगढ़ तिराहा पर परिवादी श्री हुकमाराम हाजिर मिला। उसने कहा शेरगढ़ बिजलीघर आगे मेघा हाईवे पर स्थित है। ब्यूरो का कोई कार्मिक मेरे साथ रहेगा तो यदि स्वरूपाराम बिजलीघर के बाहर मेंगा हाईवे के आस-पास खड़ा रहेगा तो उसे शक हो जायेगा। यहां से मैं अकेला ही स्वरूपाराम से मिलने जाऊंगा। परिवादी को समझाया कि यदि स्वरूपाराम या जे.ई.एन श्री राजेश मीणा से मोबाईल फोन पर बात करनी तो अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करना। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री हुकमाराम को सुपुर्द कर हिदायत देकर उसकी प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता परिवादी के ईशारे के इन्तजार में गोपनीयता बरतते हुए मेंगा हाईवे पर शेरगढ़ में भ्रमण करते रहे।

कुछ समय पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम मेंगा हाईवे पर शेरगढ़ में मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया उससे कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर रिचर्च ऑफ कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं शेरगढ़ बिजलीघर पहुंचा जहां श्री स्वरूपाराम नहीं मिला। मैंने उसके मोबाईल पर फोन से बात की तो उसने कहा कि मैं शेरगढ़ से रवाना हो चुका हूँ। दुबारा मेरे द्वारा यहां मिलने का निवेदन करने पर उसने थोड़ी देर बाद शेरगढ़ में ही मिलने का कहा। मैंने उससे फिर मोबाईल फोन पर बात की तो उसने शेरगढ़ के पास ही मेंगा हाईवे पर स्थित प्रधान साहब की होटल पर मिलने के लिये कहा इस पर मैं मेंगा हाईवे स्थित प्रधान साहब की होटल पर गया परन्तु स्वरूपाराम वहां नहीं मिला। मैंने उससे फिर मोबाईल पर बात की तो उसने कहा मैं कल सुबह सोमेसर में मिलूंगा। परिवादी ने कहा कि श्री स्वरूपाराम से मोबाईल फोन पर बात करते समय मैं अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करना भूल गया। परिवादी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल दिनांक 02.02.2022 को सोमेसर गांव में श्री स्वरूपाराम मेरे से 20000/-रुपये विद्युत लोड की जुर्माना राशि व रिश्वत के प्राप्त कर लेगा। परिवादी के कमीज टी उपर की बाई जेब में रखी रिश्वत राशि 20000/-रुपये गवाह श्री सुनिल डागा ने निकलवा कर उसे एक अखबार में लपेट कर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में आज की रिकार्ड वार्ता को आईन्दा सुनकर कार्यवाही की जायेगी। परिवादी को कल दिनांक 02.02.2022 को सोमेसर या इसके आस-पास मिलने की हिदायत देकर उसकी मोटर साईकिल सहित रुखरत किया गया। कार्यवाही के हालत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये फोन निवेदन किया तथा जाय तैनाती स्थल रवाना होना तय किया।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह हमरा ब्यूरो जाब्ता, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली लेकर जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुंचा। ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात श्री भोपालसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर मय ब्यूरो जाब्ता के जरिये सरकारी वाहन नं. आर जे 14 यूसी 4995 मय चालक के कार्यालय हाजिर आये। अग्रिम कार्यवाही दिनांक 02.02.2022 को करने का निर्णय लिया जाकर स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह व किराये के वाहन चालक श्री पृथ्वीसिंह को वाहन आर जे 19 टीबी 7121 इनोवा गाड़ी सहित दिनांक 02.02.2022 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रुखरत किया गया।

दिनांक 02.02.2022 को वक्त करीब 7.10 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह कार्यालय हाजिर आये। इसी दौरान प्राईवेट वाहन चालक श्री पृथ्वीसिंह मय वाहन आर जे 19 टीबी 7121 इनोवा के कार्यालय में हाजिर आये। जिस पर अग्रिम कार्यवाही बाबत विचार विमर्श कर एक टीम ट्रेप कार्यवाही हेतु सोमेसर गांव व दुसरी टीम जे.ई.एन श्री राजेश मीणा के तैनाती स्थल बिजली विभाग शेरगढ़ व वहां उसके बारे में मिली जानकारी के अनुसार आवश्यकतानुसार तैनात होने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात श्री भोपालसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर मय ब्यूरो जाब्ता जरिये सरकारी वाहन नं. आर जे 14 यूसी 4995 मय चालक श्री लालाराम के ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु बिजली विभाग कार्यालय शेरगढ़ की तरफ व मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह हमरा श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23

मय ब्यूरो जाल्ता, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा व श्री भंवरसिंह, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली के जरिये प्राइवेट वाहन इनोवा मय चालक के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्रनिब्यूरो जोधपुर शहर से रवाना होकर गंव सोमेसर सीमा में पहुंचा। जहां पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री हुकमाराम आम रोड पर अपनी मोटर साईकिल सहित हाजिर मिला। उसने कहा कि आज श्री स्वरूपाराम मेरे से 20000/-रूपये विद्युत लोड की जुर्माना राशि व रिश्वत के प्राप्त कर लेगा। इस पर ट्रेप बॉक्स में अखबार में लपेटकर रखी 20000/-रूपये की राशि गवाह श्री सुनिल डागा से निकलवाकर अखबार से बाहर निकाली तथा परिवादी श्री हुकमाराम के कमीज की उपरी बाई जेब में रखवाई गई। परिवादी ने कहा कि सोमेसर गंव व बिजलीघर यहां से एक किलोमीटर दुर ही है। यहां से ब्यूरो का कोई कार्मिक मेरे साथ चलेगा तो स्वरूपाराम को जानकारी मिल सकती है। परिवादी ने कहा कि हो सकता है मुझे स्वरूपाराम अभी तुरन्त या कुछ देर बाद मिले। मैं स्वयं आवश्यकतानुसार कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर लूंगा। इस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर के ऑन करने, ऑफ करने की विधि पूर्णतया परिवादी श्री हुकमाराम को समझाई गई। हुकमाराम को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द अवश्य में सुपुर्द कर आवश्यकतानुसार ऑन या ऑफ करने की हिदायत दी। परिवादी श्री हुकमाराम को समझाई श की कि यदि इस बारे में किरी से मोबाईल फोन पर वार्ता हो तो मोबाईल का स्पीकर व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर वार्ता करे। परिवादी श्री हुकमाराम ने बताया कि ब्यूरो का जाल्ता व वाहन लम्बे समय तक किसी एक रोड पर या एक जगह खड़ा होगा तो कार्यवाही की सूचना श्री स्वरूपाराम को मिल सकती है। परिवादी ने बताया कि सोमेसर छोटा गंव है आपस में ज्यादातर लोग एक-दूसरे को जानते हैं तथा गंव के पास ही सोमेसर बिजलीघर है। श्री स्वरूपाराम अमूमन बिजलीघर व गंव में आता जाता रहता है। इसलिये मेरे साथ किसी कार्मिक को भेजना उचित नहीं होगा। अलग से 02 कार्मिक सोमेसर गंव में तैनात कर शेष ब्यूरो जाल्ता मय वाहन सोमेसर गंव के आस-पास गोपनीय रूप से खड़ा रहे।

तत्पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम को श्री स्वरूपाराम से मिलने सोमेसर बिजलीघर जाने उसके प्राइवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया। 20000/-रूपये लपेट कर रखा अखबार स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जलाकर नष्ट किया गया। ब्यूरो जाल्ता को सोमेसर बिजलीघर व इसके आस-पास खड़े रहने की माकूल हिदायत देकर पैदल रवाना किया गया।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह हमरा ब्यूरो जाल्ता, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनिल डागा व श्री भंवरसिंह जरिये प्राइवेट वाहन इनोवा से मय ट्रेप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली लेकर गोपनीयता बरतने हेतु रवाना होकर दासाणिया सोमेसर रोड पर पहुंचकर गोपनीयता बरतते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में खड़े रहे।

कुछ समय पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम अपनी प्राइवेट मोटर साईकिल से मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह व ब्यूरो जाल्ता स्वतन्त्र गवाहान के पास दासाणियां रोड पर हाजिर आया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा मुझे सम्भलाया जो मैंने सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया मैंने सोमेसर बिजलीघर में जाकर श्री स्वरूपाराम के बारे में पता किया तो वहां नहीं आया। मैंने उससे सम्पर्क करने हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर वार्ता करने हेतु प्रयास किया परन्तु उसने मेरा फोन नहीं उठाया। परिवादी ने बताया कि मुझे गेरे रिश्तेदार श्री हनुमानाराम पुत्र श्री निम्बाराम ने आज बताया कि स्वरूपाराम ने उसे कहा कि तुम 20000/-रूपये राजु मेडीकल वाले को दे दो। श्री हनुमानाराम से हुई वार्ता की रिकार्डिंग के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि उस समय डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन था परन्तु मैं मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन करना भूल गया।

तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नं. 9351538525 से श्री हनुमानाराम के मोबाईल नं. 8114479108 पर बातचीत कराई तो श्री हनुमानाराम ने कहा कि श्री रवरूपाराम ने उसे कहा कि तुमने राजु को पैसे दे दिये क्या। इस पर परिवादी ने कहा कि मैंने अभी तक नहीं दिये हैं। स्वरूपाराम ने देने के लिये कहा है क्या। इस पर हनुमानाराम ने कहा कि स्वरूपाराम ने कहा है मैं तुहे कह रहा हूँ। राजु को दे दो। फोन बन्द करने पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्विच ऑफ किया गया। परिवादी रो बातचीत कर उसे पूछा कि श्री राजु मेडीकल वाले को स्वरूपाराम के द्वारा रिश्वत राशि दिलाने के बारे में जानकारी है या नहीं तो बताया कि श्री हनुमानाराम व राजु मेडीकल वाले को रिश्वत राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदे यह 20000/-रूपये विद्युत लोड की जुर्माना राशि व रिश्वत राशि के श्री राजु मेडीकल वाला लेने पर उसके खिलाफ

कार्यवाही होती है तो मुझे श्री राजु मेडीकल वाले को यह रूपये नहीं देने है। मैं एक-दो दिन में श्री स्वरूपराम से ही सम्पर्क कर 20000/-रूपये विद्युत लोड की जुर्माना राशि व रिश्वत राशि लेने के लिये कहूँगा। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर परिवादी की इच्छा के अनुसार ही कार्यवाही करना तय किया। गवाहान श्री सुनील डागा से परिवादी के कमीज की बाई जेब में रखी रिश्वत राशि निकलवाकर एक अखबार में लपेटकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी गई तथा परिवादी को हिदायत देकर उसकी मोटर साईकिल सहित रुखरत किया गया। इसी दौरान मौके पर छोड़ा गया ब्यूरो जाब्ता तलविदा दासाणिया रोड पर मन् पुलिस निरीक्षक व जाब्ता के पास हाजिर आये।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह हमरा ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह, ट्रेप बॉक्स, आवश्यक अनुसंधान सामग्री, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर व परिवादी के प्रार्थना पत्र के जरिये प्राइवेट वाहन इनोवा गाड़ी मय चालक के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुँचे। अखबार में लपेटकर रखी ट्रेप राशि ट्रेप बॉक्स से निकालकर मालखाना में सुरक्षित रखने अखबार में लपेटी हुई मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम को सुपुर्द की गई। ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, अलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री भोपालसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर मय ब्यूरो जाब्ता जरिये सरकारी वाहन नं. आर जे 14 यूरी 4995 मय चालक श्री लालराम के कार्यालय हाजिर मिले। उन्होने बताया कि हम जाब्ता आवश्यकतानुसार शेरगढ़, वालेसर के आस-पास खड़े रहे तथा मन् पुलिस निरीक्षक से हुई वार्ता के बाद रवाना होकर कार्यालय पहुँचे।

तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह व किराये के वाहन चालक श्री पृथ्वीसिंह को वाहन आर जे 19 टीबी 7121 इनोवा गाड़ी सहित हिदायत देकर रुखरत किया गया। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की मौजुदगी में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हुई सम्पूर्ण वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

दिनांक 07.02.2022 को तलविदा स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह कार्यालय हाजा में उपरिथित आये। इसके बाद परिवादी श्री हुकमाराम कार्यालय में हाजिर आया। श्री हुकमाराम ने बताया कि श्री स्वरूपराम विद्युत ठेकाकर्मी दिनांक 05.02.2022 को सोमेसर गांव में मिला। मैंने उससे रिश्वत राशि के बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम्हारी बीसीआर 18000/-रूपये की जे.ई.एन श्री राजेश मीणा ने भर दी है। तुम्हारे पास इसका नोटिस आयेगा। तुम विजली विभाग में यह रूपये जमा करा देना। अब तुम से मुझे कोई रूपये नहीं लेने हैं। इस तरह अब श्री स्वरूपराम रिश्वत राशि नहीं लेगा। परिवादी श्री हुकमाराम ने रिश्वत राशि 20000/-रूपये पुनः लौटाने हेतु एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका गवाहान को भी अवलोकन कराया। श्री हुकमाराम द्वारा पेश की गई 20000/-रूपये पुनः लौटाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैड कानि. से प्राप्त कर 20000/-रूपये के नोटों लो फिनोफथलीन पाउडर मुक्त करने के लिये झाटक कर श्री हुकमाराम को सम्भलाकर मुल प्रार्थना पत्र पर रसीद प्राप्त की गई। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री हुकमाराम व परिवादी के साथ मौजुद श्री हनुमानाराम एवं आरोपी श्री स्वरूपराम के मध्य हुई दिनांक 30.01.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्तालाप को दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री हुकमाराम के समक्ष सुन व समझकर शब्द, वशब्द पृथक –पृथक फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की श्री गणेशराम व.लि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री स्वरूपराम व परिवादी श्री हुकमाराम व उसके साथ मौजुद श्री हनुमानाराम की आवाज की पहचान स्वयं परिवादी श्री हुकमाराम द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री स्वरूपराम एवं तीसरी आवाज परिवादी श्री हुकमाराम के साथ मौजुद व्यक्ति श्री हनुमानाराम की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गई। परिवादी श्री हुकमाराम व परिवादी के साथ मौजुद श्री हनुमानाराम एवं आरोपी श्री स्वरूपराम के मध्य हुई दिनांक 30.01.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर से दो सीड़ी श्री गणेशराम व.लि. से तैयार करवाई गई। वार्ता की एक सीड़ी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में रखकर सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दूसरी सीड़ी को डब सीड़ी मानते हुए खुली हालात में रखी गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री हुकमाराम एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री हुकमाराम एवं श्री राजेश मीणा जे.ई.एन के मध्य दिनांक 31.01.2022 को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में हुई वार्ता रिकॉर्ड है। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्तालाप को दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री हुकमाराम के समक्ष सुन व समझकर शब्द, वशब्द पृथक –पृथक फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि के सम्बन्ध हुई वार्ता की श्री गणेशराम व.लि. से फर्द मुर्तिब

करवाई गई। श्री राजेश मीणा जे.ई.एन. शेरगढ जिला जोधपुर व परिवादी श्री हुकमाराम की आवाज की पहचान स्वयं परिवादी श्री हुकमाराम द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज श्री राजेश मीणा जे.ई.एन की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। परिवादी श्री हुकमाराम व श्री राजेश मीणा जे.ई.एन शेरगढ जिला जोधपुर के मध्य हुई दिनांक 31.01.2022 को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में हुई वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर से दो सीड़ी श्री गणेश्वार व.लि. से तैयार करवाई गई। वार्ता की एक सीड़ी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दूसरी सीड़ी को डब सीड़ी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही वांछित नहीं होने से स्वतन्त्र गवाहान श्री सुनील डागा व श्री भंवरसिंह एवं परिवादी श्री हुकमाराम को कार्यालय से रुखस्त किया गया। प्रकरण में मुर्तिब की गई सीड़ी के शील्डचिट अवस्था के दो पैकेट व 2 डब सीड़ी मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 को मालखाना में जमा करने सुपुर्द की गई।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री हुकमाराम सोमेसर गांव में श्री निम्बाराम पुत्र श्री नैनाराम जाति जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) के प्लॉट में बनी दुकान में वैलिंग का काम करता है तथा 1500/-रुपये प्रतिमाह किराया देता है। इसका विद्युत कनेक्शन श्री निम्बाराम के नाम है। जिसकी बिल राशि प्रतिमाह श्री हुकमाराम जमा करता है। दिनांक 27.01.2022 को परिवादी के किराये की इस दुकान पर जे.ई.एन श्री राजेश मीणा व सोमेसर बिजलीघर में ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम आये व कहा तुम कम लोड में (केवी) वैलिंग का काम कर रहे हो। उन्होने वहां रखी वैलिंग की मशीन के नम्बर लिखे तथा चले गये। परिवादी को मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिया। परिवादी व उसका रिश्तेदार श्री हनुमानाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) दोनों सोमेसर बिजलीघर गये जहां ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम मिला और उसके पुछने पर उसे बताया कि आपकी दुकान पर 05 केवी के लोड के हिसाब से 90 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, तो परिवादी ने कहा मैं गरीब आदमी हु मेरी मदद करो, जिस पर ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम ने कहा मैं जे.ई.एन साहब से बात करके बताऊगा। दिनांक 28.01.2022 को परिवादी ने अपने मोबाईल नं 93515-38525 से श्री ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के मोबाईल नं 63776-73883 पर बात की तो श्री स्वरूपाराम ने कहा कि जे.ई.एन साहब ने 20 हजार रुपये का कहा है इसमें 13 हजार रुपये की रसीद देंगे उसने पैसे फोन-पे के द्वारा खाते में जमा करवाने का कहा। इस पर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया तो श्री स्वरूपाराम ने परिवादी से जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा देने के लिये कुल 20000/-रुपये की मांग की जिसमें से 13500/-रुपये बिजली विभाग की राशि व 6500/-रुपये जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा को देने के लिये मांग की। परिवादी द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर कहा 20000/-रुपये लेकर आना। रुपये देते समय दो हजार रुपये कम करने के लिये निवेदन करेंगे। श्री स्वरूपाराम ने दिनांक 30.01.2022 को वक्त मांग सत्यापन हुई वार्ता में परिवादी की दुकान पर भरी गई वीसीआर सीट में केवी लोड व जुर्माना राशि वक्त चैकिंग भरना नहीं बताया। केवी लोड व जुर्माना राशि का वक्त चैकिंग इन्द्राज नहीं करना उक्त दोनों श्री राजेश मीणा जे.ई.एन. व श्री स्वरूपाराम का उद्देश्य रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार जुर्माना राशि व लोड अंकन करना स्पष्ट प्रतीत होता है।

परिवादी अपने इस काम के लिये जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा से मिला तो उसने कहा तुम स्वरूपा से बात कर लेना। इस तरह परिवादी श्री हुकमाराम की किराये की दुकान पर विद्युत लोड एक केवी का बताकर कम जुर्माना राशि लगाकर 6500/-रुपये रिश्वत राशि जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा को देने के लिये श्री स्वरूपाराम ठेकाकर्मी बिजली विभाग सोमेसर द्वारा मांगी गई तथा परिवादी जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा से मिलकर अपने इस काम के लिये कहा तो उसने कहा की स्वरूपा से बात कर लो। प्रथम दृष्टया जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा व श्री स्वरूपाराम की रिश्वत राशि लेने के बारे में मिलीभगत प्रतीत होती है। इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम-2018 व 120वीं भा.दं.सं. का अपराध गठित होना प्रथम दृष्टिया पाया गया।

अतः 1. श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रसारीलाल मीणा निवासी फतेहपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सोलंकीयातल्ला अधिनस्थ सहायक अभियन्ता डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर एवं श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूसर सोमेसर हाल ठेकाकर्मी विद्युत विभाग सोमेसर डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम-2018 व 120वीं भा.दं.सं. में दण्डनीय होने से प्रकरण पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 07 प्रतियों में मय आरोपी के सेवाविवरण एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट स्लिप राशि मांग सत्यापन वार्ता की प्रतियां प्रेषित हैं।

भवदीय
रूपसिंह
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्लॉक
जोधपुर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूपसिंह, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री राजेश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता, सोलंकीयातल्ला अधीनस्थ सहायक अभियंता, डिस्कॉम शेरगढ़, जिला जोधपुर एवं 2.श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम, निवासी पाबूसर सोमेसर, हाल ठेकाकर्मी, विद्युत विभाग, सोमेसर डिस्कॉम शेरगढ़, जिला जोधपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 76/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।

 8.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 688-92 दिनांक 8.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव, प्रशासन, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

 8.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।